डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना

योजना का लाभ – केवल नवीन सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदको हेतु निम्नानुसार अर्हता एवं वित्तीय सहायता सम्बंधित प्रावधान होगें:-

1- परियोजना सीमा : सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रू. 10 हजार से 1 लाख तक की परियोजनाएँ।

2-पात्रता :

(क) आयु : 18 - 55 वर्ष ।

(ख) आय सीमा : (अ) आयकर दाता न हो।

(ब) परिवार से आशय : (i) आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा (ii) आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है।

(ग) अन्य : (अ) आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था जैसे- MFI/ NBFC/SFB/PACS इत्यादि का डिफाल्टर ना हो। (ब) आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।

3- वित्तीय सहायता : ब्याज अनुदान :योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों कोबैंक द्वारा वितरित/शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा।

गांरटी फीस : म.प्र.शासन द्वारा गांरटी फीस देय होगी।

4-प्रशिक्षण : योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाईन ट्रेनिंग मोडयूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

5-पात्र परियोजनायें : उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE अन्तर्गत बैंक ऋण गांरटी के लिए पात्र हैं।

6-पात्र बैंक : पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो CGTMSE में पंजीकृत MLI(Member Lending Institution) है।

7-योजना का क्रियान्वयन: इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल होगा। जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी/कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समितियों के माध्यम से योजना का संचालन/समन्वय कराया जावेगा। योजनान्तर्गत जिला स्तर पर विभिन्न स्वरोजगर मूलक कार्यो से जुडे विभागों- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा।

2) म.प्र.शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अपने विभागीय बजट में इस योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया जायेगा। डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा आवंटित बजट अनुसार जिलेवार एवं बैंकवार वित्तीय लक्ष्य (ब्याज अनुदान वितरण) निर्धारित किये जायेंगे, भौतिक लक्ष्य केवल सांकेतिक होंगे।

3) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा। इस हेतु पृथक से मंत्रि-परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नही होगी।

4) योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिये निर्माणाधीन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए निर्धारित पोर्टल में ही अनुसूचित जाति वर्ग हेतु डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना के नाम से संचालन होगा जो कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से समन्वित होगा। अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अन्तर्गत आवेदन करने पर भी उसे इस योजना अन्तर्गत पात्रता की स्थिति में लाभ प्राप्त होगा।

डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना

- **योजना का उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

- **योजना का क्रियान्वयन:** डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

- **पात्रता:**
  - योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
  - आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  - आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
  - आवेदन दिनांक को आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
  - किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
  - यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
  - सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
  - योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

- **वित्तीय सहायता:**
  - सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रु 10 हज़ार से रु 1 लाख तक की परियोजनाए
  - ब्याज अनुदान - योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा